राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 1(2)ग्रावि / नरेगा / मा.द. / 56002 / 2014 जयपुर, दिनांक : 13 JUN 2017

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
समस्त राजस्थान।

विषयः– **महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कार्यस्थल पर "सूचना बोर्ड" लगाए जाने बाबत।**
संदर्भः– **विभागीय समसंख्यक पत्रांक दिनांक 08.12.2016**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा योजनान्तर्गत **प्रत्येक कार्यस्थल पर स्थानीय सामग्री से निर्मित स्थायी सूचना बोर्ड आवश्यक रूप से लगाए जाने** तथा इन पर **कार्य के संबन्ध में विस्तृत जानकारी आवश्यक** रूप से **लिखवायी** जाने बाबत निर्देशित किया गया। यह महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 की **अनुसूची 2 के पैरा 22(iv) का प्रावधान** है जिसकी पालना किया जाना अनिवार्य है।

विभिन्न निरीक्षणों के दौरान तथा राज्य सरकार को प्राप्त सूचना से यह स्पष्ट हुआ है कि **कार्यस्थल पर इस प्रकार के "सूचना बोर्ड" नही लगाए जा रहे है जो कि राज्य सरकार के निर्देशों तथा अधिनियम के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है।**

इस संबन्ध में यह निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक कार्यस्थल पर स्थानीय सामग्री से निर्मित स्थायी "नागरिक सूचना बोर्ड (citizen information bord)" आवश्यक रूप से लगाए जाए एवं इसका **प्रावधान कार्य के तकमीने** में रखा जावे।

जिला एवं ब्लाक स्तर के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के दौरान निम्न बातें आवश्यक रूप से सुनिश्चित की जावे :–

1. **"नागरिक सूचना बोर्ड (citizen information bord)" आवश्यक रूप से लगे हुए हो।**
2. **कार्य की पत्रावली जिसमें कार्य की प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति की प्रति, विस्तृत स्वीकृत तकमीना की प्रति, कार्य पर उपयोग होने वाली सामग्री का विवरण, कार्य पर हुए व्यय आदि की सूचना सहित कार्यस्थल पर संधारित हो।**
3. **कार्यरत श्रमिकों के अद्यतन जॉबकार्ड, जो कि संबन्धित श्रमिक के पास हो।**
4. **उपयोग में ली जा रही मस्टररोल जिसमें आवश्यक सभी पूर्तियां आवश्यक रूप से हो।**
5. **कार्यस्थल सुविधाएं ।**

संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार का निरीक्षण भी इस माह अथवा अगले माह में आवश्यक रूप से होना है। उनके निरीक्षण के दौरान उक्त सभी निर्देशों की पूर्ति आवश्यक रूप से हो।

राज्य सरकार के उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करायी जावे तथा पालना नही करने वाले संबन्धित **कार्मिकों** के विरूद्व महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 के सैक्शन 25 के तहत कार्यवाही की जावे।

भवदीय

(मनीष चौहान)
आयुक्त एवं सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
2. शासन सचिव, ग्रामीण विकास।
3. आयुक्त एवं सचिव, ईजीएस।
4. परि.निदे.ईजीएस/अतिरिक्त आयुक्त/वित्तीय सलाहकार/अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाषी अभियन्ता, ईजीएस मुख्यालय।
5. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, नरेगा एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
6. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला परिषद बाडमेर।
7. विकास अधिकारी सह कार्यक्रम अधिकारी, महात्मा गांधी नरेगा पंचायत समिति समस्त।

परि.निदे. एवं संयुक्त सचिव, ईजीएस